E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0 : 03/भू0अ0नि0 (3) सं0 स्था0 अररिया (त्याग पत्र) –29/2025 7064 पटना, **दिनांक:** 19/11/2025

आदेश

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया के पत्रांक 515–II दिनांक 28.06.2025 द्वारा श्री शीतांशु शेखर (ASO14539), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा दिनांक 07.09.2024 को योगदान समर्पित करने के पश्चात् समुचित प्रशिक्षण आदि में कमी का उल्लेख करते हुए दिनांक 18.09.2024 को ई–मेल के माध्यम से त्याग पत्र समर्पित करने तथा पुनः दिनांक 23.09.2024 को ई–मेल के माध्यम से ही त्याग पत्र को रद्द करते हुए सेवा जारी रखने हेतु अनुरोध से संबंधित सूचना जबकि श्री शेखर द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यालय के कर्मी (पदाधिकारी) नहीं होने एवं उन्हें विरमित करना वैधानिक प्रतीत नहीं होने का उल्लेख करते हुए मार्गदर्शन की मांग किया गया है।

उक्त पत्र तदनुसार लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में निदेशालय पत्रांक 4251 दिनांक 29.07.2025 द्वारा श्री शेखर से स्पष्टीकरण की मांग किया गया है।

श्री शेखर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पारिवारिक कारणों का उल्लेख करते हुए त्याग पत्र देने तथा ई–मेल के माध्यम से त्याग पत्र वापस लेने एवं चिकित्सीय कारण से अररिया में योगदान नहीं करने का उल्लेख किया गया है। साथ ही डेंगू होने तथा चिकित्सीय परामर्शानुसार विश्राम करने की बात अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संदर्भ में किसी प्रकार का चिकित्सा पूर्जा समर्पित नहीं किया गया है तथा ये योगदान के पश्चात् लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित है, जिसकी सूचना ना तो इस कार्यालय को दिया गया है और ना ही बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया में। इनका स्थानांतरण बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान में होने के पश्चात् योगदान करने हेतु अनुरोध की मांग किया गया है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कर्मी को अपने संविदा नियोजन एवं सरकारी दायित्वों के प्रति कोई अभिरूचि नहीं है। इनका यह कृत्य, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एवं समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए योजना की अवधि निर्धारित है। इनके इस तरह के कृत्य से भू–सर्वेक्षण कार्य पर कुप्रभाव पड़ने को दृष्टिगत रखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए ऐसे संविदा कर्मी को संविदा में बनाये रखना उचित नहीं है।

अतएव **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली–2019''** के नियम 8(4) के तहत इतनी लंबी अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण श्री शीतांशु शेखर (ASO14539), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

18/11

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सं0 स्था0 अररिया (त्याग पत्र) –29/2025 7064 **पटना, दिनांक:** 19/11/2025

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (3) सं0 स्था0 अररिया (त्याग पत्र) –29 / 2025 7064 **पटना, दिनांक**: 19/11/2025

प्रतिलिपि : श्री शीतांशु शेखर (ASO14539), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (3) सं0 स्था0 अररिया (त्याग पत्र) –29 / 2025 7064 **पटना, दिनांक**: 19/11/2025

प्रतिलिपि : प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत संबंधित कर्मी की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

18/11

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप